Regarding need to provide compensation and employment to persons whose land has been acquired for mining of coal and related activities by South Eastern Coal Fields Limited in Shahdol Parliamentary Constituency

श्रीमती हिमाद्री सिंह (शहडोल)**:** मेरे संसदीय क्षेत्र शहडोल अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोल फ़ील्ड लिमिटेड के सोहागपुर क्षेत्र, जमुना कोतमा क्षेत्र, हसदेव क्षेत्र, जोहिला क्षेत्र में कोयला खदानें संचालित हैं इन सभी क्षत्रों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के बदले भू आश्रित परिवारों को मुआवजा और रोजगार दिए जाने का प्रावधान है । उक्त सभी क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से भू आश्रितों को मुआवजा और रोज़गार के कई मामले आज दिनांक तक लंबित हैं कई ऐसे मामले हैं जिनमे भू आश्रित परिवारों को मुआवज़ा मिले तो 5-6 वर्ष बीत चुके हैं किन्तु आज दिनांक तक रोजगार नहीं मिल पाया है कई ऐसे भी मामले हैं जिनमे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि का आधिग्रहण तो कर लिया गया है, मुआवज़े की सूचना भी भू आश्रितों को दे दी गई है किन्तु मुआवज़े की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करती हूँ कि भूमि अधिग्रहण के बदले भू आश्रितों को मुआवज़ा और रोज़गार दिए जाने की प्रक्रिया में गति लाई जाए एवं पात्र भू आश्रित परिवारों को मुआवज़े की राशि और रोजगार बिना किसी विलम्ब के जल्द से जल्द दिलवाया जाए ।